FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. District (जिला): ACB DISTRICT   P.S. (थाना): C.P.S Jaipur   Year (वर्ष): 2025

2. FIR No. (प्र.सू.रि.सं): 0301   Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय): 17/11/2025 11:33 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1. Day(दिन): दरमियानी दिन   Date From (दिनांक से): 05/11/2025   Date To (दिनांक तक): 15/11/2025

Time Period (समय अवधि): पहर   Time From (समय से): 07:00 बजे   Time To (समय तक): 10:51 बजे

(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 17/11/2025   Time (समय): 11:00 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) : Entry No. (प्रविष्टि सं.): 001   Date & Time (दिनांक एवं समय) 17/11/2025 11:33:39 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी): NORTH, 60 किमी   Beat No. (बीट सं.) : NOT APPLICABLI

(b)Address(पता): KARALYA POLICE THANA BUHANA, JILA JHUNJHUNU

(c In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)

Name of P.S (थाना का नाम):   District(State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name(नाम): RAJVEER

(b) Father's Name (पिता का नाम): SULTAN SINGH

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष): 1990 (d)Nationality(राष्ट्रीयता): INDIA

(e) UID No(यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):
Date of Issue (जारी करने की तिथि): Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address(पता):

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	GRAM KHANDVA, BUHANA, BUHANA, JHUNJHUNU, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	GRAM KHANDVA, BUHANA, BUHANA, JHUNJHUNU, RAJASTHAN, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष न.): Mobile (मोबाइल न.): [redacted]

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	SANTOSH BAI		पति:ANOOP SINGH	1. MANDU KI DHANI,POST BHAVTHDI,JHUNJHUNU,RAJASTHAN,INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		20,000.00

10. Total value of property stolen(In Rs/-)
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 20,000.00

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

निवेदन है कि दिनांक 04.11.2025 को मन् उप अधीक्षक पुलिस को एसीबी हैल्प लाईन नम्बर 1064 ने परिवादी श्री राजवीर के मोबाईल नम्बर उपलब्ध करवा सम्पर्क करने हेतु निर्देश प्राप्त हुये जिस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस ने अपने मोबाईल नम्बर से परिवादी श्री राजवीर के मोबाईल पर सम्पर्क किया तो परिवादी ने बताया कि मै खांदवा का रहने वाला हू। पुलिस थाना बुहाना में मेरे व मेरे चाचा के विरुद्ध मुकदमा दर्ज है जिसकी जांच श्रीमती संतोष हैड कानि के पास है। श्रीमती संतोष हैड कानि मेरे भाई शुभ कुमार को बन्द नही करने की एवज में 30,000 रुपये रिश्वत की मांग कर रही है। जिस पर परिवादी को दिनांक 05.11.2025 को एसीबी कार्यालय झुंझुनूं उपस्थित होने बाबत हिदायत मुनासिब की गई। दिनांक 05.11.2025 को परिवादी श्री राजवीर पुत्र श्री सुलतान सिंह जाति यादव, उम्र 35 वर्ष निवासी ग्राम खांदवा, तहसील बुहाना, जिला झुंझुनूं ने एसीबी कार्यालय झुंझुनूं उपस्थित होकर एक हस्त लिखित प्रार्थना मय स्वयं का आधार कार्ड की फोटोप्रति मन् उप अधीक्षक पुलिस को इस आशय का पेश किया कि सेवामें श्रीमान उप अधक्षिक भ्र.नि.ब्यूरो झुंझुनूं विषय बुहाना थाना की हैड कानि संतोष को रिश्वत लेते हुये पकड़वाने के क्रम में। महोदय, निवेदन है कि मै राजवीर पुत्र सुलतान सिंह यादव निवासी खांदवा थाना बुहाना जिला झुंझुनूं का निवासी हॅू। मेरे परिवार में मेरे चाचाओ के बीच झगड़ा चलता रहता है। जिसमें दिनांक 22/10/2025 को मेरी चाचा सत्यनारायण ने बुहाना थाना में मेरे चाचा लालसिंह के विरुद्ध मारपीट का मुकदमा दर्ज करा दिया जिसमें उन्होने मेरा व मेरे भाई शुभ कुमार का नाम भी जगड़ा करने में लिखा दिया उस मुकदमे की जांच बुहाना थाना की हैड कानि सन्तौस के पास है। जिन्होने मुझे मेरे चाचा लालसिंह को दिनांक 25.10.2025 को थाने पर बुलाकर 151 crpc में बाद दिखाकर हमारी जमानत उसी दिन करा दी अब श्रीमती सन्तोष उस मुकदमें मेरा व मेरे भाई शुभ कुमार का नाम हटाने के लिए हमारे से 30,000 रुपये रिसपत मांगी है। व मेरे भाई शुभ कुमार 151 बन्द नही करने के लिए रुपये मांग रही है। मै व मेरा भाई जगड़ा में शामिल नही थे फिर भी सन्तोष हैड कानि हमारे से रिसपत लेकर हमारा नाम मुकदमे से हटाना चाह रही है मै उनको रिसपत नही देना चाहता हॅू। और उनको रिसपत लेते हुये पकड़वाना चाता हॅू। मेरे को आज सन्तोष ने थाने पर बुलाया है। मेरे को नाजायज मुकदमे मुकदमे में फसाना चाहती है। मेरी सन्तोष हैड कानि से कोई रंजीस नही है और हैड कानि सन्तोष से कोई अधारी बाकी नही है। रिपोर्ट करता हॅू कार्यवाही करे। एसडी राजवीर पुत्र सुलतान सिंह यादव निवासी खांदवा थाना बुहाना जिला झुंझुनूं। परिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र से मामला प्रथम दृष्टया रिश्वत मांग का पाया गया हैं। परिवादी ने दरियाफ्त पर बताया कि मै श्रीमती संतोष हैड कानि से आज मिल कर रिश्वत मांग का सत्यापन करवा सकता हॅू। जिस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस ने श्री विक्रम सिंह कानि 92 का परिचय परिवादी से करवाकर कार्यालय के डिजिटल वॉयस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड में पूर्व की कोई वार्ता रिकार्ड नही होना सुनिश्चित कर परिवादी को डिजिटल वॉयस रिकार्डर चालु व बन्द करने की विधि समझाईश कर श्री विक्रम सिंह कानि. 92 को डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय खाली मैमोरी कार्ड सुपुर्द कर परिवादी श्री राजवीर के साथ गोपनीय रिश्वत मांग सत्यापन कार्यवाही हेतु परिवादी के साथ ही उसकी गाडी से पुलिस थाना बुहाना जिला झुंझुनूं के लिए रवाना किया गया। श्री विक्रम सिंह कानि. 92 बुहाना गया हुआ वापस आया तथा मन् उप अधीक्षक पुलिस को डिजिटल वॉयस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड सुपुर्द कर बताया कि बुहाना पहुंच कर परिवादी के मोबाईल से श्रीमती संतोष हैड कानि के मोबाईल पर मोबाईल का स्पीकर ऑन कर वार्ता करवाई तो श्रीमती संतोष हैड कानि ने बताया कि आज मत आना, जरुरत होने पर बुला लुंगी। उक्त वार्ता को डिजिटल वॉयस रिकार्डर के मैमोरी कार्ड में रिकार्ड किया। मन् उप अधीक्षक पुलिस ने डिजिटल वॉयस रिकार्डर को चला कर सुना तो कानि द्वारा बताई गई बातो की पुष्टी होना पाई। दिनांक 10.11.2025 को श्री विक्रम सिंह कानि. 92 ने मन् उप अधीक्षक पुलिस को बताया कि मेरे पास परिवादी श्री राजवीर का फोन आया है जिन्होने मुझे बताया है कि आज संतोष हैड कानि ने बात करने के लिए मुझे बुलाया है जिस पर कानि विक्रम सिंह को डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड सुपूर्द कर बुहाना के लिए रवाना किया गया। श्री विक्रम सिंह कानि 92 उपस्थित कार्यालय आया तथा मन् उप अधीक्षक पुलिस को डिजिटल वॉयस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड सुपुर्द कर बताया कि चौकी से रवाना होकर बुहाना बस स्टेण्ड पर पहुंचा जहा परिवादी श्री राजवीर उपस्थित मिला जिसे डिजिटल वॉयस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड चालु कर सुपूर्द किया तथा परिवादी की गाडी से रवाना होकर पुलिस थाना बुहाना के पास पहुंच परिवादी को पुलिस थाना बुहाना में श्रीमती संतोष हैड कानि के पास उसके काम व रिश्वत मांग सत्यापन करने हेतु रवाना किया। मै वही

अपनी उपस्थिति छिपाते हुये परिवादी के आने के इंतजार में मुकिम हुआ। कुछ समय बाद परिवादी आया जिससे मैने डिजिटल वॉयस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड प्राप्त कर बन्द किया तथा परिवादी ने बताया कि श्रीमती संतोष हैड कानि ने मुझे एक दो दिन में गवाह लाने तथा विडियो फुटेज लाने के लिए कहा है तथा उसके बाद में बात करने के लिए कहा है तथा मेरे से 3000 रुपये ले लिये। तत्पश्चात परिवादी को बुहाना छोडकर कार्यालय उपस्थित आया। मन् उप अधीक्षक द्वारा डिजिटल वॉयस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड को चला कर सुना तो कानि द्वारा बताई गई बातो की पुष्टी होना पाई गई। आईन्दा परिवादी का फोन आने पर रिश्वत मांग का सत्यापन करवाया जावेगा। दिनांक 13.11.2025 को श्री विक्रम सिंह कानि 92 डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड सुपूर्द कर परिवादी के पास बुहाना पहुंच कर सम्पर्क करने हेतु रवाना किया गया। श्री विक्रम सिंह कानि 92 ने जरिये फोन बताया कि मै परिवादी के पास बुहाना पहुंच कर उसे डिजिटल वॉयस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड चालु कर सुपूर्द किया तथा परिवादी की गाडी से रवाना होकर पुलिस थाना बुहाना के पास पहुंच कर परिवादी राजवीर को श्रीमती संतोष हैड कानि के पास उसके काम व रिश्वत मांग सत्यापन करने हेतु रवाना किया। मै वही अपनी उपस्थिति छिपाते हुये परिवादी के आने के इंतजार में मुकिम हुआ। करीब 45 मिनट बाद परिवादी वापस आया जिससे मैने डिजिटल वॉयस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड प्राप्त कर बन्द किया तथा परिवादी ने बताया कि आज श्रीमती संतोष हैड कानि से बात हो गई है जिन्होने हमारे खिलाफ दर्ज मुकदमें में मदद करने की एवज में 30,000 रुपये रिश्वत की मांग की है तथा रिश्वत राशि एक दो दिन में देने के लिए कहा है। मैने डिजिटल वॉयस रिकार्डर को चला कर सुना तो परिवादी द्वारा बताई गई बातो की पुष्टी होना पाई गई।
तत्पश्चात कानि ने अपने मोबाईल से मन् उप अधीक्षक की परिवादी से वार्ता करवाई तो परिवादी श्री राजवीर ने भी कानि विक्रम सिंह द्वारा बताई गई बातो की ताईद की। तत्पश्चात कानि विक्रम सिंह को परिवादी श्री राजवीर को वही छोड़कर कार्यालय आने की हिदायत की गई। श्री विक्रम सिंह कानि 92 कार्यालय उपस्थित आया तथा मन् उप अधीक्षक पुलिस को डिजिटल वॉयस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड सुपूर्द किया। मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा डिजिटल वॉयस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड को चला कर सुना तो कानि एवं परिवादी द्वारा फोन पर बताई गई बातो की पुष्टी होना पाई गई। दिनांक 14.11.2025 को परिवादी श्री राजवीर कार्यालय उपस्थित आया तथा मन् उप अधीक्षक को बताया कि आज सुबह श्रीमती संतोष हैड कानि ने मुझे फोन कर थाने पर बुलाया और कहा कि गवाहो के बयान करवाओ और उसी दौरान मेरी तलाशी ली । उस समय मेरे पास 7000 रुपये थे जो श्रीमती संतोष हैड कानि ने ले लिये। श्रीमती संतोष हैड कानि ने बाकी के रुपये दिनांक 15.11.2025 को देने के लिए कहा हैं। कार्यालय के श्री कुमार सानु कानि 138 मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद झुंझुनूं से स्वतंत्र गवाह श्री सुरेन्द्र सिंह वर्मा वरिष्ठ सहायक व श्री पवन कुमार कनिष्ठ सहायक को हमराह लेकर कार्यालय उपस्थित आया। मन् उप अधीक्षक द्वारा दोनो स्वतंत्र गवाहान का परिवादी श्री राजवीर से आपस में परिचय करवाकर परिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र को दोनो स्वतंत्र गवाहान को पढकर सुनाया व समझाया गया। दोनो स्वतंत्र गवाहान से उक्त कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह रहने की सहमती चाही तो दोनो गवाहान ने स्वेच्छा से बतौर स्वतंत्र गवाह रहने की अपनी-अपनी सहमति दी। दोनो स्वतंत्र गवाहान से परिवादी के प्रार्थना पर हस्ताक्षर करवाये गये। परिवादी श्री राजबीर व अरोपिया श्रीमती संतोष हैड कानि के मध्य दिनांक 05/11/2025, 10/11/2025, 13/11/2025 को रुबरु एवम मोबाईल पर हुई वार्ता कार्यालय के डिजिटल वायॅस रिकार्डर में लगे मैमोरी कार्ड में रिकार्ड है। डिजिटल वायॅस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड को कार्यालय लेपटोप से जोडकर परिवादी व स्वतंत्र गवाहान की उपस्थिति में रिकार्ड वार्तालाप को सुनकर फर्द वार्ता रुपान्तरण एवं हिन्दी रुपान्तरण श्री विक्रम सिंह कानि 92 से तैयार करवायी गई जिसमें परिवादी श्री राजवीर व आरोपिया श्रीमती संतोष हैड कानि के मध्य दिनांक 05/11/2025, 10/11/2025, 13/11/2025 को हुई रिश्वत मांग संबंधित वार्ताए रिकार्ड होना पाई गई। मैमारी कार्ड में रिकार्ड वार्ता से तीन पैनड्राईव कम्पनी hp 32 gb के तैयार कर एक पैन ड्राईव की हैश वैल्यु निकाल कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर उसी की पैकिंग में रखकर सफेद कपडे की थैली में डालकर कपडे की थैली को शिल्ड किया जाकर कपडे की थैली पर मार्क ए अंकित किया गया। डिजिटल वायॅस रिकार्डर में लगे मैमोरी कार्ड Geonix 32 GB की हैश वैल्यु निकालकर मैमोरी कार्ड को निकालकर उसी की पैंकिग में रखकर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर एक सफेद कपडे की थैली में डालकर शिल्ड मोहर कर थैली पर मार्क ए-1 अंकित किया गया। पेनड्राईव को कार्यालय लेपटॉप एवं टेबल स्पीकर से चलाकर सुनाया गया तो रिकार्ड आवाज में परिवादी ने एक आवाज स्वयं की तथा दुसरी आवाज आरोपिया श्रीमती संतोष हैड कानि की आवाज होने की पहचान की है। फर्द वार्ता रुपान्तरण रिश्वत मांग सत्यापन तैयार कर शामिल कार्यवाही की गई। पैकेटो को शिल्ड करने में पितल की नमूना शील नम्बर 7 उपयोग में ली गई। फर्द नमूना सील तैयार कर शामिल कार्यवाही की गई। परिवादी श्री राजवीर को रिश्वत मे दी जाने वाली राशि 20,000 रुपये लेकर आने व स्वतंत्र गवाहान श्री सुरेन्द्र सिंह वर्मा वरिष्ठ सहायक एवं श्री पवन कुमार कनिष्ठ सहायक को आवश्यक हिदायत कर रुखसत किया गया। दिनांक 15.11.2025 को परिवादी श्री राजवीर रिश्वत मे दी जाने वाली राशि 20,000 रुपये लेकर व स्वतंत्र गवाहान श्री सुरेन्द्र सिंह वर्मा वरिष्ठ सहायक एवं श्री पवन कुमार कनिष्ठ सहायक गोपनीय कार्यवाही हेतु उपस्थित कार्यालय आए। श्रीमती निर्मला महिला कानि 307 एसीबी चौकी सीकर से हाजिर कार्यालय आयी। मन् उप अधीक्षक पुलिस के निर्देशानुसार परिवादी श्री राजवीर को रिश्वत में दिये जाने वाले रूपये पेश करने की कहने पर परिवादी

ने अपने पास से भारतीय मुद्रा के पॉच-पॉच सौ रूपये के 40 नोट कुल 20,000 रूपये पेश किये जिनके नम्बरों का विवरण फर्द पेशकशी एवं दृष्टांत फिनोफ्थलीन पाउडर में अंकित करवाकर नोटो पर श्री दलीप कुमार कानि 10 से हस्व कायदा फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया। गवाह श्री सुरेन्द्र सिंह वर्मा से परिवादी श्री राजवीर की जामा तलाशी लिवाई जाकर उसके पास उसके मोबाईल फोन के अलावा कोई वस्तु नहीं रहने दी गई। फिनोफ्थलीन पाउडर लगे 20,000 रूपये के नोट श्री दलीप कुमार कानि 10 से परिवादी श्री राजवीर की पहनी हुई पेंट के सामने की बाई जेब रखवाये गये। परिवादी श्री राजवीर को हिदायत की गई कि रास्ते में वह इन रुपयो को नही छुये तथा तय ईशारे की समझाईस की गई। दोनों गवाहान को भी आवश्यक हिदायत दी गई। प्रदर्शन करवाकर दोनों पाउडरों की आपसी प्रतिक्रिया व महत्व परिवादी व दोनों गवाहान को समझाया गया। श्री दलीप सिंह कानि 10, परिवादी, दोनों गवाहान एवं ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। ट्रेप कार्यवाही में धोवन के लिए काम में लिए जाने वाले प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलासों व कॉच की शीशियों को साफ पानी व साबुन से धुलवाकर साफ करवाते हुए ट्रेप बॉक्स तैयार करवाया गया। ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों को गोपनियता बनाये रखने व तय ईशारे बाबत् समझाईस कर मुनासिब हिदायत दी गई। फर्द पेशकसी, सुपुर्दगी नोट व दृष्टांत फिनोफ्थलीन पाउडर पृथक से तैयार कर शामिल कार्यवाही की गई। कार्यालय के डिजीटल वॉयस रिकार्डर में नया मैमोरी कार्ड को डालकर देखा गया तो डिजिटल वॉयस रिकार्डर व मैमोरी कार्ड में पूर्व की कोई वार्ता रिकार्ड नही होना पाई गई। डिजीटल वॉयस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड रिश्वत के लेन देन के समय होने वाली बातचीत को सावधानी पूर्वक रिकार्ड करने हेतु परिवादी श्री राजवीर को सुपुर्द कर मुनासिब हिदायत दी गई। मन् उप अधीक्षक पुलिस मय परिवादी श्री राजवीर एवं श्री विक्रम सिंह कानि 92, महिला कानि श्रीमती निर्मला नम्बर 307, स्वतंत्र गवाह श्री पवन कुमार परिवादी की गाडी से तथा श्री रोहिताश्व सिंह सउनि, श्री करण सिंह हैड कानि 104, श्री त्रिलोक सिंह हैडकानि 155, श्री ईशाक मोहम्मद कानि. 40, श्री नरेन्द्र कुमार कानि 91, श्री कुमार सानु कानि 138, श्री राकेश कुमार कानि 243, श्री प्रवीण कुमार कानि 36, श्री प्रमोद पूनिया, क.स. व स्वतंत्र गवाह श्री सुरेन्द्र सिंह वर्मा प्राईवेट व सरकारी वाहन चालक श्री जगदेव सिंह मय ट्रेप बाक्स, अनुसंधान सामग्री लेपटाप, डिजिटल वायस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड के गोपनीय ट्रेप कार्यवाही हेतु बुहाना के लिए रवाना हुये। श्री दलीप कुमार कानि 10 को कार्यालय मे छोडा गया। मन् उप अधीक्षक पुलिस मय श्री रोहिताश्व सिंह सउनि, श्री त्रिलोक सिंह हैड कानि, श्री करण सिंह हैड कानि, श्री कुमार सानु कानि 138, श्री नरेन्द कुमार कानि 81, श्री राकेश कुमार कानि 243, विक्रम सिंह कानि 92, श्री ईशाक मौहम्मद कानि 40, श्री प्रवीण कुमार कानि 36, श्री प्रमोद पूनियां क0स0 स्वतंत्र गवाह श्री सुरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री पवन कुमार एवं परिवादी श्री राजवीर के साथ प्राईवेट एवं सरकारी वाहनो तथा परिवादी की गाडी से बुहाना कस्बे से पहले पहुंच वाहनो को साईड में खडा कर परिवादी व समस्त टीम को ब्रीफ किया गया। परिवादी श्री राजवीर को डिजीटल वॉयस रिकार्डर चालू कर स्वयं की गाडी से श्रीमती संतोष हैड कानि को रिश्वत राशि देने हेतु पुलिस थाना बुहाना के लिए रवाना कर मन उप अधीक्षक पुलिस मय श्री रोहिताश्व सिंह सउनि, श्री विक्रम सिंह, श्रीमती निर्मला महिला कानि, गवाह श्री पवन कुमार परिवादी के पीछे-पीछे रवाना हो पुलिस थाना के बाहर अपनी उपस्थिति छिपाते हुये परिवादी के तय ईशाके के इंतजार में मुकिम हुये। समय 10.51 ए.एम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस के मोबाईल पर परिवादी का मिस काल का तय ईशारा प्राप्त होने पर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय जाप्ता वाहन के पुलिस थाना बुहाना के अन्दर प्रवेश हुये जहा द्वितीय अधिकारी के कक्ष के बाहर परिवादी श्री राजवीर खड़ा मिला जिससे डिजिटल वॉयस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड प्राप्त कर बन्द किया। परिवादी ने द्वितीय अधिकारी के कक्ष में कुर्सी पर बैठी महिला की तरफ ईशारा कर बताया कि यही श्रीमती संतोष हैड कानि है जिन्होने अभी मेरे से 20,000 रुपये रिश्वत के अपने दाहिने हाथ से लेकर अपनी पहनी हुई स्वेटर की दाहिनी जेब में रख लिये। जिस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस ने कुर्सी पर बैठी महिला को अपना व हमराहियान का परिचय देकर उस महिला से परिचय पूछा तो उक्त महिला ने अपना नाम संतोष पत्नि श्री अनुप सिंह, जाति जाट, उम्र 46 साल, निवासी माडू की ढाणी, तन भावठड़ी पुलिस थाना सूरजगढ जिला झुंझुनूं हाल हैड कानि न0 2549 पुलिस थाना बुहाना जिला झुंझुनूं होना बताया। मन् उप अधीक्षक पुलिस ने आरोपिया श्रीमती संतोष हैड कानि को परिवादी से 20,000 रुपये किस बात के लिए है पूछने पर श्रीमती संतोष ने बताया कि मेरा राजवीर से आपसी लेनदेन चलता रहता है, मैने राजवीर से रिश्वत के 20,000 रुपये नही लिये है। इस पर पास ही खडे परिवादी ने आरोपिया की बातो का खण्डन करते हुये बताया कि संतोष जी झुठ बोल रही है इन्होने मेरे व मेरे भाई तथा चाचा के विरुद्ध दर्ज प्रकरण में मदद करने एवं मेरे भाई को बन्द नही करने की एवज में मेरे से 30000 रुपये रिश्वत की मांग की थी, जिन्होने मेरे से 3000 रुपये व 7000 रुपये पहले ले लिये थे। इस पर आरोपिया श्रीमती संतोष हैड कानि को पुन पूछा तो बताया कि मेरी परिचित रोशनी से मेरा उधार का लेनदेन चलता रहता है जिन्होने मुझे कहा था कि आपके पास एक लड़का आयेगा वो आपको 20,000 रुपये देगा वो ले लेना। मन् उप अधीक्षक पुलिस ने परिवादी श्री राजवीर को इस बारे में पूछा तो बताया कि इन्होने मेरे से रिश्वत के 20,000 रुपये लिये है। आरोपिया श्रीमती संतोष हैड कानि ने बताया कि मुस्तगीस श्री सत्यनारायण निवासी खांदवा ने श्री लाल सिंह पुत्र श्री रामजीलाल, रामबीर पुत्र सुलतान सिंह, शुभ कुमार पुत्र श्री सुलतान सिंह, राहुल पुत्र लालसिंह निवासीगण खांदवा के विरुद्ध प्रकरण संख्या 215/2025 दर्ज करवाया था जिसका अनुसंधान मेरे द्वारा किया जा रहा था, उक्त प्रकरण मे श्री राजवीर भी आरोपी है, जिसको गांव में रामबीर के नाम जानते है। मैने अनुसंधान के दौरान

राजवीर को थाने पर बुलाकर गवाह पेश करने हेतु कहा था लेकिन वो गवाह पेश नही कर रहे थे। तत्पश्चात श्री करण सिंह हैड कानि के दोनो हाथ एवं दो प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास को साफ पानी व साबुन से धुलवाकर मन् उप अधीक्षक पुलिस ने दोनो प्लास्टिक के गिलासो में साफ पानी भरवाकर सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार किया जो रंगहीन था सभी हाजरिन को तैयार घौल दिखाया गया तो सभी ने घोल रंगहीन होना बताया। आरोपिया श्रीमती संतोष के दाहिने हाथ की अंगुलियो को तैयार रंगहीन घोल के गिलास में डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग मटमैला हो गया, जिसे हाजरिन को दिखाया गया तो सभी ने मटमैला होना बताया जिसे दो साफ कांच की शिशियो को साबुन व पानी से धुलवा कर दोनो कांच की शिशियो में उक्त रंगीन घोल को आधा-आधा भरवा कर क्रमश मार्क आर-1 व आर-2 अंकित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवा शिल्ड मोहर कर कब्जा एसीबी लिया गया तथा बाये हाथ की अंगुलियो को दुसरे गिलास में तैयार रंगहीन घोल में डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग मटमैला हो गया, जिसे हाजरिन को दिखाया गया तो सभी ने मटमैला होना बताया, जिसे दो साफ कांच की शिशियो को साबुन व पानी से धुलवा कर दोनो कांच की शिशियो में उक्त रंगीन घोल को आधा-आधा भरवा कर क्रमश मार्क एल-1 व एल-2 अंकित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवा शिल्ड मोहर कर कब्जा एसीबी लिया गया।

तत्पश्चात आरोपिया श्रीमती संतोष हैड कानि से परिवादी श्री राजवीर से ली गई रिश्वती राशि के बारे में पूछा तो श्रीमती संतोष ने बताया कि मैने श्री राजवीर से लिये हुये 20,000 रुपये मेरी पहनी हुई स्वेटर की दाहिनी जेब में रखे है जिस पर श्रीमती संतोष को उक्त 20,000 रुपये पेश करने की कहने पर अपनी जेब से निकालकर पेश किये। उक्त नोटो को दोनो गवाहान से पूर्व की बनी फर्द पेशकशी एवं सपुर्दगी नोट से करवाया गया तो दोनो गवाहान ने आरोपिया के पास मिले नोटो का हुबहु मिलान होना बताया। बरामद रिश्वती राशि 20,000 रुपये के नोटो का विवरण निम्न प्रकार है। 1 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 0PL 430921 2 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 0PL 430922 3 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 0PL 430923 4 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 1AH 322258 5 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 2CT 12[illegible]437 6 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 3NG 028129 7 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 2EL 766626 8 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 8FQ 354439 9 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 8GH 252341 10 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 0DA 380022 11 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 9GS 737031 12 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 1KA 655752 13 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 6RE 342357 14 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 1KE 723610 15 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 8HW 845576 16 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 7A[illegible] 429807 17 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 0HK 374996 18 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 1VA 90[illegible]370 19 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 8AS 048056 20 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 3MS 997149 21 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 9MF 993778 22 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 1AN 950759 23 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 2BU 975749 24 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 0QP 185347 25 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 6TN 152160 26 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 2UE 091792 27 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 5EU 949304 28 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 8TQ 465897 29 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 0M[illegible] 885877 30 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 8A 712319 31 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 4LS 24[illegible]160 32 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 3PC 563585 33 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 5UV 635100 34 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 3BT 025063 35 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 5FK 468130 36 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 9ER 606524 37 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 7DP 855051 38 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 5BW 866025 39 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 1 QB 774739 40 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 0PL 430920 बरामदशुदा उपरोक्त 20,000 रूपयों के नोटो को एक सफेद कपड़े में सीलवाकर बरामद रिश्वती राशि को सील्ड मोहर कर कपड़े पर हाजरीन के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत जप्त कर कब्जा एसीबी लिये गये। तत्पश्चात आरोपिया श्रीमती संतोष हैड कानि की मर्यादा एवं लोक लाज को ध्यान में रखते हुये उसकी पहनी हुई स्वेटर महिला कानि निर्मला की उपस्थिति में ससम्मान उतरवाई गई। तत्पश्चात श्री राकेश कुमार कानि के दोनो हाथ एवं प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास को साफ पानी व साबुन से धुलवाकर एक प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास में साफ पानी भरकर सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार किया जो रंगहीन था सभी हाजरिन को तैयार घौल दिखाया गया तो सभी ने घोल रंगहीन होना बताया। आरोपिया श्रीमती संतोष हैड कानि की स्वेटर की दाहिनी जेब को उलटवाकर रंगहीन घोल में डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग हल्का गुलाबी हो गया। सभी हाजरिन को दिखाया गया तो सभी ने हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया जिसे दो कांच की शिशियो को साबुन पानी से धुलवाकर पेंट की जेब के धोवन को दो साफ कांच की शिशियो में आधा-आधा भरकर शिशियो पर चिट चस्पा कर सील मोहर कर मार्क एस-1 एस-2 अंकित कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवा कर कब्जा एसीबी लिया गया एवं प्लास्टिक के डिस्पोजल ग्लास को जला कर नष्ट करवाया गया। स्वेटर बरंग हल्का गुलाबी की जेब को सुखाकर स्वेटर की दाहिनी जेब में एक कागज की पर्ची जिस पर संबधितो के हस्ताक्षकर करवा पर्ची को स्वेटर की दाहिनी जेब में रख कर, स्वेटर को एक सफेद कपड़े की थैली में रख शिल्ड मोहर कर मार्क बी अंकित कर संबंधितो

के हस्ताक्षर करवा कब्जा ए.सी.बी. लिया गया। मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा मौके पर उपस्थित थानाधिकारी श्री उमराव जाट को परिवादी से संबंधित प्रकरण संख्या 215/2025 की पत्रावली पेश करने की कहने पर श्रीमती संतोष के कार्यालय से मंगवा कर पेश की। उक्त पत्रावली को श्री उमराव जाट, उ.नि. से प्रमाणित करवा कर प्रमाणित प्रति प्राप्त कर शामिल कार्यवाही की गई एवं प्रकरण की मूल पत्रावली श्री उमराव जाट, उ.नि. को लौटाई गई। आरोपिया श्रीमती संतोष हैड कानि पुलिस थाना बुहाना जिला झुंझुनूं के बरामदगी रिश्वत राशि, हाथो एवं स्वेटर के धोवन की शिशियो को शिल्ड करने की कार्यवाही की विडियोग्राफी मोबाईल में लगे मैमोरी कार्ड Geonix 32 GB में कार्यालय के श्री प्रमोद पूनिया क0स0 से रिकार्ड करवाई गई। उक्त मैमोरी कार्ड को मोबाईल से निकालकर लेपटॉप से जोडकर चलाकर देखा तो कुल तीन विडियो क्लीप रिकार्ड होना पाई जिनको बारी-बारी से चलाकर देखा तो तीनो विडियो क्लीप चालु होना पाई गई। मैमोरी कार्ड में रिकार्ड विडियो क्लीप को दुसरे मैमोरी कार्ड में डाउनलोड किया गया। डाउनलोड किये मैमोरी कार्ड को खुला रखा गया तथा मूल मैमोरी कार्ड एक सफेद कपडे की थैली में रखकर शिल्ड कर मार्क सी अंकित किया गया। फर्द हाथ धुलाई एवं बरामदगी रिश्वत राशि तैयार कर शामिल कार्यवाही की गई। आरोपिया श्रीमती संतोष पत्नि श्री अनुप सिंह, जाति जाट, उम्र 46 साल, निवासी माडू की ढाणी, तन भावठड़ी पुलिस थाना सूरजगढ जिला झुंझुनूं हाल हैड कानि 2549 पुलिस थाना बुहाना जिला झुंझुनूं द्वारा अपने पद का दुरूपयोग कर परिवादी श्री राजवीर व उसके भाई, चाचा के विरुद्ध पुलिस थाना बुहाना में दर्ज प्रकरण संख्या 215/2025 में परिवादी के भाई का नाम हटाने व परिवादी के भाई को बन्द नही करने की एवज में आरोपिया श्रीमती संतोष हैड कानि द्वारा रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान 30,000 रुपये रिश्वत की मांग की गई। रिश्वत मांग के अनुशरण में आरोपिया श्रीमती संतोष हैड कानि को दिनांक 15.11.2025 को परिवादी से 20,000 रुपये रिश्वत राशि प्राप्त की गई। इस प्रकार आरोपियां श्रीमती संतोष हैड कानि का उक्त कृत्य जुर्म धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) की परिधि में आना पाया जाने पर जूर्म से आगाह करा महिला की लोकलाज गरिमा को ध्यान में रखते हुये श्रीमती निर्मला महिला कानि की उपस्थिति मे आरोपिया को उसके संवैधानिक अधिकारो से अवगत करा जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया। फर्द गिरफ्तारी तैयार कर शामिल कार्यवाही की गई।

परिवादी श्री राजवीर द्वारा दिनांक 15.11.2025 को आरोपिया श्रीमती संतोष हैड कानि से वक्त रिश्वत लेनदेन हुयी रूबरू वार्ता कार्यालय के डिजिटल वार्यस रिकार्डर में लगे मैमोरी कार्ड में रिकार्ड है। जिस पर डिजिटल वार्यस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड को कार्यालय लेपटोप से जोडकर परिवादी व स्वतंत्र गवाहान की उपस्थिति में रिकार्ड वार्तालाप को सुनकर फर्द वार्ता रुपान्तरण एवं हिन्दी रुपान्तरण श्री विक्रम सिंह कानि. 92 से तैयार करवायी गई जिसमें परिवादी श्री राजवीर व आरोपिया श्रीमती संतोष हैड कानि के मध्य दिनांक 15/11/2025 को हुई रिश्वत लेनदेन संबंधित वार्ताए रिकार्ड होना पाई गई। मैमोरी कार्ड में रिकार्ड वार्ता से तीन पैनड्राईव कम्पनी Geonix 16 gb के तैयार कर एक पैन ड्राईव की हैश वैल्यु निकाल कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर पेनड्राईव को उसी की पैकिंग में रखकर सफेद कपडे की थैली में डालकर कपडे की थैली को शिल्ड किया जाकर मार्क डी अंकित किया गया। डिजिटल वार्यस रिकार्डर में लगे मैमोरी कार्ड Geonix 32 GB की हैश वैल्यु निकालकर संबंधित के हस्ताक्षर कर उसी की पैंकिग में रखकर सफेद कपडे की थैली में डालकर कपडे की थैली को शिल्ड किया जाकर मार्क डी-1 अंकित किया गया। पेनड्राईव को कार्यालय लेपटॉप एवं टेबल स्पीकर से चलाकर सुनाया गया तो रिकार्ड आवाज में परिवादी ने एक आवाज स्वयं की तथा दुसरी आवाज आरोपिया श्रीमती संतोष हैड कानि की आवाज होने की पहचान की है। फर्द वार्ता रुपान्तरण रिश्वत लेनदेन तैयार कर शामिल कार्यवाही की गई। स्वतंत्र गवाहान, परिवादी श्री राजवीर की उपस्थिति में आरोपिया श्रीमती संतोष हैड कानि, पुलिस थाना बुहाना में प्रादर्शो को सील्ड करने में काम में ली गई पीतल की सील नम्बर 7 को श्री कुमार सानु कानि 138 से नष्ट कराई गई। फर्द नमूना शील नष्टीकरण तैयार कर शामिल कार्यवाही की गई।अब तक की ट्रेप कार्यवाही से पाया गया कि आरोपिया श्रीमती संतोष पत्नि श्री अनूप सिंह, जाति जाट, उम्र 46 साल, निवासी माडू की ढाणी, तन भावठड़ी पुलिस थाना सूरजगढ जिला झुंझुनूं हाल हैड कानि न0 2549 पुलिस थाना बुहाना जिला झुंझुनूं द्वारा अपने पद का दुरूपयोग कर परिवादी श्री राजवीर व उसके भाई, चाचा के विरुद्ध पुलिस थाना बुहाना में दर्ज प्रकरण संख्या 215/2025 में परिवादी के भाई का नाम हटाने व परिवादी के भाई को बन्द नही करने की एवज में आरोपिया श्रीमती संतोष हैड कानि द्वारा रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान 30,000 रुपये रिश्वत की मांग कर रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान आरोपिया श्रीमती संतोष हैड कानि ने परिवादी से दिनांक 10/11/2025 को 3000 रुपये दिनांक 14/11/2025 को 7000 रुपये प्राप्त किये एवं रिश्वत मांग के अनुशरण में आरोपिया श्रीमती संतोष हैड कानि ने दिनांक 15/11/2025 को परिवादी श्री राजवीर से 20,000 रुपये रिश्वत राशि प्राप्त कर अपनी पहनी हुई स्वेटर की जेब में रख लिये जहा से रिश्वती राशि 20,000 रुपये बरामद की गई। आरोपिया श्रीमती संतोष हैड कानि न0 2549 पुलिस थाना बुहाना जिला झुंझुनूं का उक्त कृत्य जुर्म धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संषोधित 2018) की परिधि में आने पाया जाने पर उक्त आरोपिया के विरूद्ध उपरोक्त धारा में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट चाक की जाकर कायमी प्रकरण हेतु सी.पी.एस. एसीबी जयपुर को प्रेषित है।(शब्बीर खान)उप अधीक्षक पुलिस,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, झुन्झुनूं..........कार्यवाही पुलिस..........प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री शब्बीर खान उप पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, झुन्झुनूं ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा

7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपीया श्रीमती संतोष बाई पत्नी श्री अनूप सिंह, जाति जाट उम्र 46 साल, निवासी माडू की ढाणी, पोस्ट भावठड़ी पुलिस थाना सूरजगढ जिला झुंझुनूं हाल हैड कानि 2549 पुलिस थाना बुहाना जिला झुंझुनूं के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री विजय कुमार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सीकर को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 319 पर अंकित है। (पुष्पेन्द्र सिंह राठोड) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1706-09 दिनांक 17.11.2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-1.विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, झुन्झुनूं 2- पुलिस अधीक्षक जिला झुन्झुनूं 3- उप महानिरीक्षक-तृतीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर 4-अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो झुन्झुनूं। पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):

or

(2) Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम): VIJAY KUMAR **Rank (पद):** अपर पुलिस अधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or**

(3) Refused investigation due to (जाँच के लिए) :

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) Transferred to P.S.(थाना): **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई)
R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Pushpendra Singh Rathore
Location: Rajasthan,IN
Date: 17.11.2025

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Name(नाम): Pushpendra Singh Rathore
Rank (पद): SP (Superintendant of Police)
No(सं.):

Attachment to Item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Female	1979				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)